

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 81/2020 /सी-2

भोपाल, दिनांक 13/04/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टरों,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषय:-लॉकडाउन अवधि में खाद्यान्न उपार्जन एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ तथा अत्यावश्यक सेवाओं एवं आपातक कार्यों के लिए जिले के भीतर, अन्तर्जिला एवं जिले से अन्य राज्य में आवागमन हेतु अनुमति (ई - पास) की प्रक्रिया ।

उपरोक्तविषयांतर्गत नागरिकों/संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:-

(अ) जिले के भीतर आवागमन के सम्बन्ध में

1. अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों/संस्थाओं को जिले के भीतर आवागमन हेतु पृथक से पास/अनुमति-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसे व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो उनसे सामान्य पूछ-ताछ/परिचय-पत्र (जैसे - कार्यालय का आईकार्ड , आधार कार्ड , पैन कार्ड , डाइविंग लाइसेंस , पासपोर्ट, अन्य कोई कार्ड आदि) देखने के बाद समाधान होने पर उन्हें गन्तव्य स्थान हेतु प्रस्थान करने दिया जाए। इस व्यवस्था को करने के लिए जिला कलेक्टर स्थानीय आवश्यकताओं और कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों के तारतम्य में अधिकृत होंगे।

(ब) प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के सम्बन्ध में

2. इसके अंतर्गत निम्न चार श्रेणियों में आवेदन प्राप्त हो सकते हैं -

अ). ऐसे नागरिक/संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन एवं उसकी अनुषांगिक गतिविधियाँ तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के इच्छुक हों।


ब.) ऐसे व्यक्ति / संस्थायें/कम्पनियाँ , जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक से अधिक जिलों में नागरिकों के लिए अत्यावश्यक सेवाओं से सम्बंधित सामग्री/सामग्रियों के डोर-दू-डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत हैं।

स.) ऐसे परिवहनकर्ता, जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्यप्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करना हो ।

द.) यदि किसी नागरिक को व्यक्तिगत आपातक कार्य (Personal Emergency) से आवागमन करना हो ।

3. उपरोक्त चारों श्रेणियों के प्रकरणों में वे समस्त व्यक्ति/संस्था इस कार्य हेतु विशेष रूप से निर्मित पोर्टल (<https://mepil.gov.in/covid-19>) पर आवेदन कर सकेंगे । आवश्यक अनुमति हेतु ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार्य होंगे । पोर्टल पर यह आवेदन उस जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस जिले से प्रस्तावित परिवहन / आवागमन प्रारंभ होना है ।
4. ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी इन प्रकरणों का परीक्षण करेंगे एवं समाधान होने पर वे ऐसे आवेदन को स्वीकार कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अनुमति (ई-पास) जारी करेंगे , जिसकी प्रति आवेदक को उनके आवेदन के साथ पंजीकृत मोबाइल क्रमांक एवं ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जायेगी ।
5. यदि प्रदेश में एक जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति / संस्था के पक्ष में ई-पास जारी किया जाता है, तो उसे प्रदेश के उन सभी जिलों द्वारा भी स्वीकार किया जाएगा, जो रास्ते में आर्येंगे ।
6. इस प्रणाली के अंतर्गत जारी किये जाने वाले समस्त ई-पास की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन MIS के रूप में प्रमुख सचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग तथा प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी ।

7. यदि किसी जिले में कोई क्षेत्र कोविड -19 की दृष्टि से कन्टेनमेंट क्षेत्र के रूप में घोषित है, तो ऐसे क्षेत्र में परिवहन एवं आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
8. इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर श्री संजय दुबे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग अथवा श्रीमती करुणि खोंगवार देशमुख , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी -सह -आयुक्त , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडलसे संपर्क कर सकते हैं ।
9. उपरोक्त दिशानिर्देश लॉकडाउन की समाप्ति अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक प्रभावशाली रहेंगे ।


 (एस. एम्. मिश्रा)
 प्रमुख सचिव
 गृह विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 82 / 2020/ सी-2

भोपाल, दिनांक 13/04/2020

1. प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री कार्यालय
2. उप सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय
3. अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग
4. पुलिस महानिदेशक , मध्य प्रदेश
5. प्रमुख सचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग /सूक्ष्म , लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी -सह -आयुक्त , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल , मध्यप्रदेश
7. समस्त संभागायुक्त , मध्यप्रदेश
8. आयुक्त , जनसंपर्क , मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


 प्रमुख सचिव
 गृह विभाग